न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 78 / 2021

1. राकेश कुमार टीबडा पुत्र श्री चण्डीप्रसाद टीबडा, जाति महाजन, निवासी वार्ड नं0 29, कारूण्डिया रोड, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. रमाकान्त तुलस्यान पुत्र स्व0 मोहनलाल तुलस्यान, जाति महाजन, निवासी मणी विहार झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।

——अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सुमन पंसारी पत्नी शिवकुमार पंसारी, जाति महाजन, निवासी तुलस्यानो की बावडी के पास झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. अनिता देवी पत्नी स्व0 मोहनलाल, जाति महाजन, निवासी मणी विहार झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3- लक्ष्मी थैलासरिया पुत्री स्व0 मोहनलाल, जाति महाजन, निवासी Krishna Nagar Delhi
4. मंजू मोदी पुत्री स्व0 मोहनलाल, जाति महाजन, निवासी Gandhi Colony Garakhpur
5. अंजू सिंगदोडिया पुत्री स्व0 मोहनलाल, जाति महाजन, निवासी Shyam Nagar Jaipur
6- रिया अग्रवाल पुत्री स्व0 मोहनलाल, जाति महाजन, निवासी Barbarpur, Shadara Delhi
7. रीतू बागडोदिया पुत्री स्व0 मोहनलाल, जाति महाजन, निवासी Civil Lines, Jaipur
8. लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनूं।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 26.08.2016 द्वारा तहसीलदार झुंझुनूं इन्तकाल नम्बर 3454 दिनांकित 26.08.2016 कस्बा झुंझुनूं।

————

1. श्री अनिल कुमार झाझडिया, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से उपस्थित
2. श्री अमजद अली, एडवोकेट— रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 7 की ओर से उपस्थित।
3. श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पो0 सं0 8 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट सं0 1 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 30.03.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.07 16:04:42 IST
Reason: SelfAttested

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार [illegible] आदेश नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक 02.02.2008 भूमि कस्बा झुंझुनूं के विरूद्ध मय प्रार्थना [illegible] 5 प्रार्थना पत्र स्थगन एवं प्रार्थना पत्र आ0धा0 96 सीपीसी के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र आ0धा0 96 सीपीसी पर बहस सुनी गयी। अपील का [illegible] की दृष्टि से [illegible] पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र आ0धा0 96 सीपीसी स्वीकार [illegible] जाता है। अपीलान्ट [illegible] ओर से अपील निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत है कि अदालत मातहत ने दिनांक 26.08.2016 को जो निर्णय पारित किया है वह विरूद्ध विधि न्याय व पत्रावली है। अपीलान्ट नं0 1 व अपीलान्ट नं0 2 के पिता तथा रेस्पोडेन्ट नं0 2 के पति रेस्पोडेन्ट नं0 3 लगायत 7 के पिता मोहनलाल तुलस्यान की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की भूमि खसरा नम्बर 355, 356, 357, 358 वाके कस्बा झुंझुनूं स्थित है जिसमे अपीलान्ट नं0 1 का व उक्त मोहनलाल तुलस्यान का हिस्सा बराबर—बराबर 0.63 हैक्टेयर कुल हिस्सा 1.26 हैक्टेयर था जिसमे से अपीलान्ट नं0 1 व उक्त मोहनलाल तुलस्यान ने अपने कुल हिस्से में से [illegible] हैक्टेयर कृषि भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट नं0 1 श्रीमती सुमन पंसारी को दिनांक 17.06.2016 को

कर दिया तथा इस बाबत एक विक्रय पत्र भी उप पंजीयक झुंझुनूं के यहां दिनांक 17.06.2016 को तस्दीक करवा दिया जो दिनांक 23.06.2016 को पंजीबद्ध हुआ तथा शेष 0.3402 हैक्टर भूमि पर अपीलान्ट्स संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 श्रीमती सुमन पंसारी ने उक्त विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट नं0 8 तहसीलदार झुंझुनूं के यहां इन्तकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिया जिस पर बिना भौतिक कब्जे की जांच किये ही व विक्रय पत्र दिनांकित 17.06.2016 का विवेचन किये बिना ही गलत आधार पर तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा इन्तकाल नं0 3454 दिनांक 26.08.2016 दर्ज किया गया। जो यह दर्शाता है कि रेस्पोडेन्ट नं0 1 व राजस्व कर्मचारियो व तहसीलदार झुझुनू ने मिलीभगत कर अपीलान्ट नं0 1 व अपीलान्ट नं0 2 के पिता मोहनलाल तुलस्यान का सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पोडेन्ट नं0 1 के नाम दर्ज कर दिया गया है। नामान्तकरण संख्या 3454 दिनांक 26.08.2016 के कॉलम संख्या 16 में अंकित किया गया है कि "श्रीमान जी मुताबिक विक्रय पत्र के राकेश कुमार टीबडा हिस्सा 0.63 हैक्टर एवं मोहनलाल का हिस्सा 0.63 हैक्टर बेचान से नामान्तकरण दर्ज कर सेवा में पेश है।" जबकि नामान्तकरण दर्ज करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न विक्रय पत्र की प्रति भी संलग्न थी जिसका भी विवेचन न्यायहित में राजस्व कर्मचारियो द्वारा नही किया गया। अगर राजस्व कर्मचारी उक्त विक्रय पत्र के पैरा नम्बर 1.26 हैक्टर हिस्से मे से 0.9198 हैक्टर कृषि भूमि का बेचान कर रहे है। इससे साफ जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर गलत व विधि विरूद्ध इन्तकाल दर्ज करवाया है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 श्रीमती सुमन पंसारी गलत नामान्तकरण के आधार पर दर्ज राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त कृषि भूमि का गलत विभाजन करवाना चाहती है जो भी विधि विरूद्ध है तथा इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी। उक्त मोहनलाल तुलस्यान की मृत्यु दिनांक 25.04.2021 को जिला जयपुर में हो गई जिस पर अपीलान्ट नं0 2 ने इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु राजस्व रिकॉर्ड की नकल निकलवाई तो पता चला कि उनके पिता मोहनलाल तुलस्यान व अपीलान्ट नं0 1 राकेश कुमार टीबडा का उक्त कृषि भूमि में बचा हुआ हिस्सा भी रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर गलत रूप से अपने नाम करवा लिया जिसकी सूचना अपीलान्ट नं0 1 को दी गई तो अपीलान्ट नं0 1 ने तहसीलदार झुंझुनूं को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.2021 को वास्ते दुरूस्त करने नामान्तकरण संख्या 3454 दिनांकित 26.08.2016 दिया जिस पर तहसीलदार साहब झुंझुनूं ने अपीलान्ट नं0 1 को कहा कि आपका नामान्तकरण दुरूस्त कर दिया जायेगा लेकिन उक्त नामान्तकरण की आज तक कोई दुरूस्ती नही की गई। इसके बाद में एक प्रार्थना पत्र दिनांकित 14.10.2021 को उक्त इन्तकाल की दुरूस्ती व विभाजन नही करने बाबत दिया गया जिस पर भी आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नही हुई है तथा साथ ही रेस्पोडेन्ट नं0 8 तहसीलदार झुंझुनूं विभाजन करने पर आमादा है। मोहनलाल की मृत्यु दिनांक 25.04.2021 को हो जाने के कारण उसके वारिसान के रूप में अपीलान्ट नं0 2 व रेस्पोडेन्ट नं0 2 लगायत 7 को पक्षकार बनाया गया है। रेस्पोडेन्ट नं0 2 लगायत 7 को अपील में रेस्पोडेन्टस के रूप में पक्षकार इसलिए बनाया गया है कि वे वर्तमान में यहां मौजूद नही है। अतः अपील अपीलान्टस पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 26.08.2016 निरस्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट नं0 1 व अपीलान्ट नं0 2 के पिता तथा रेस्पोडेन्ट नं0 2 के पति रेस्पोडेन्ट नं0 3 लगायत 7 के पिता मोहनलाल तुलस्यान की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की भूमि खसरा नम्बर 355, 356, 357, 358 वाके क[illegible]लान्ट नं0 1 का व उक्त मोहनलाल तुलस्यान का हिस्सा बराबर–बराबर 0.63 हैक्टेय[illegible]सा 1.26 हैक्टेयर था जिसमे से अपीलान्ट नं0 1 व उक्त मोहनलाल तुलस्या[illegible]क्टेयर कृषि भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट नं0 1 श्रीमती सुमन पंसारी [illegible] दिनांक 17.06.20[illegible] को कर दिया तथा इस बाबत एक विक्रय पत्र भी उप पंजीयक झुंझुनूं के यहां दिनांक 17.06.2016 को तस्दीक करवा दिया जो दिनांक 23.06.2016 को पंजीबद्ध हुआ तथा शेष 0.3402 हैक्टर भूमि प[illegible] अपीलान्ट्स संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 श्रीमती सुमन पंसारी ने उक्त विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट नं0 8 तहसीलदार झुंझुनूं के यहां इन्तकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिया जिस पर बिना भौतिक कब्जे की जांच किये ही व विक्रय पत्र दिनांकित 17.06.2016 का विवेचन किये बिना ही गलत आधार पर तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा इन्तकाल नं0 3454 दिनांक 26.08.2016 दर्ज किया गया। जो यह दर्शाता है कि रेस्पोडेन्ट नं0 1 व राजस्व कर्मचारियो व तहसीलदार झुंझुनूं ने मिलीभगत कर अपीलान्ट नं0 1 व अपीलान्ट नं0 2 के पिता मोहनलाल तुलस्यान का सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पोडेन्ट नं0 1 के नाम दर्ज कर दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.07 16:04:42 IST
Reason: SelfAttested

गया है। नामान्तकरण संख्या 3454 दिनांक 26.08.2016 के कॉलम संख्या 16 में अंकित किया गया है कि "श्रीमान जी मुताबिक विक्रय पत्र के राकेश कुमार टीबडा हिस्सा 0.63 हैक्टर एवं मोहनलाल का हिस्सा 0.63 हैक्टर बेचान से नामान्तकरण दर्ज कर सेवा में पेश है।" जबकि नामान्तकरण दर्ज करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न विक्रय पत्र की प्रति भी संलग्न थी जिसका भी विवेचन न्यायहित में राजस्व कर्मचारियो द्वारा नही किया गया। अगर राजस्व कर्मचारी उक्त विक्रय पत्र के पैरा नम्बर 1.26 हैक्टर हिस्से मे से 0.9198 हैक्टर कृषि भूमि का बेचान कर रहे है। इससे साफ जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर गलत व विधि विरूद्ध इन्तकाल दर्ज करवाया है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 श्रीमती सुमन पंसारी गलत नामान्तकरण के आधार पर दर्ज राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त कृषि भूमि का गलत विभाजन करवाना चाहती है जो भी विधि विरूद्ध है तथा इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी। उक्त मोहनलाल तुलस्यान की मृत्यु दिनांक 25.04.2021 को जिला जयपुर में हो गई जिस पर अपीलान्ट नं0 2 ने इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु राजस्व रिकॉर्ड की नकल निकलवाई तो पता चला कि उनके पिता मोहनलाल तुलस्यान व अपीलान्ट नं0 1 राकेश कुमार टीबडा का उक्त कृषि भूमि में बचा हुआ हिस्सा भी रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर गलत रूप से अपने नाम करवा लिया जिसकी सूचना अपीलान्ट नं0 1 को दी गई तो अपीलान्ट नं0 1 ने तहसीलदार झुंझुनूं को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.2021 को वास्ते दुरूस्त करने नामान्तकरण संख्या 3454 दिनांकित 26.08.2016 दिया जिस पर तहसीलदार साहब झुंझुनूं ने अपीलान्ट नं0 1 को कहा कि आपका नामान्तकरण दुरूस्त कर दिया जायेगा लेकिन उक्त नामान्तकरण की आज तक कोई दुरूस्ती नही की गई। इसके बाद में एक प्रार्थना पत्र दिनांकित 14.10.2021 को उक्त इन्तकाल की दुरूस्ती व विभाजन नही करने बाबत दिया गया जिस पर भी आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नही हुई है तथा साथ ही रेस्पोडेन्ट नं0 8 तहसीलदार झुंझुनूं विभाजन करने पर आमादा है। मोहनलाल की मृत्यु दिनांक 25.04.2021 को हो जाने के कारण उसके वारिसान के रूप में अपीलान्ट नं0 2 व रेस्पोडेन्ट नं0 2 लगायत 7 को पक्षकार बनाया गया है। रेस्पोडेन्ट नं0 2 लगायत 7 को अपील में रेस्पोडेन्टस के रूप में पक्षकार इसलिए बनाया गया है कि वे वर्तमान में यहां मौजूद नही है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 26.08.2016 निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 7 ने वकील अपीलान्ट्स के कथनों का कोई विरोध नही किया।

रेस्पोडेन्ट सं0 1 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नही। रेस्पोडेन्ट सं0 1 के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत से उक्त नामान्तरकरण के संबंध मे रिपोर्ट ली जाकर ही निर्णय पारित किया जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि वकील अपीलान्ट्स के यह कथन उचित प्रतीत होते है कि अपीलान्ट नं0 1 व अपीलान्ट नं0 2 के पिता तथा रेस्पोडेन्ट नं0 2 के पति रेस्पोडेन्ट नं0 3 लगायत 7 के पिता मोहनलाल तुलस्यान की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की खसरा नम्बर 355, 356, 357, 358 वाके कस्बा झुंझुनूं स्थित है जिसमे अपीलान्ट नं0 1 व मोहनलाल तुलस्यान का हिस्सा बराबर–बराबर 0.63 हैक्टेयर कुल हिस्सा 1.26 हैक्टेयर है जिसमे से अपीलान्ट नं0 1 व उक्त मोहनलाल तुलस्यान ने अपने कुल हिस्से में से 0.9198 हैक्टेयर कृषि भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट नं0 1 श्रीमती सुमन पंसारी को दिनांक 17.06.2016 को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 17.06.2016 को किया है जो दिनांक 23.06.2016 को पंजीबद्ध हुआ तथा शेष 0.3402 हैक्टर भूमि पर अपीलान्ट्स संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। अदालत मातहत को विक्रय पत्र मे बेचानशुदा 0.9198 का ही नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट सं0 1 के पक्ष मे करना चाहिए था न कि सम्पूर्ण 1.26 है0 भूमि का। बेचान के बाद अपीलान्ट्स के हिस्से की शेष भूमि 0.3402 है0 रिकार्ड मे अपीलान्ट्स के नाम दर्ज की जानी उचित है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 26.08.2016 खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.07 16:04:42 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार झुंझुनूं को आदेश दिये जाते है कि विक्रय पत्र मे बेचान की गई भूमि रकबा 0.9198 हैक्टेयर का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट नं0 1 श्रीमती सुमन पंसारी के पक्ष मे एवं बेचान के बाद शेष रही अपीलान्ट्स के हिस्से की शेष भूमि 0.3402 है0का नामान्तरकरण अपीलान्ट्स के नाम दर्ज किया जावे। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.07 16:04:42 IST
Reason: SelfAttested